प्रेस विज्ञप्ति

04.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले के प्रमुख षड्यंत्रकर्ताओं में से एक रोहित विज को गिरफ्तार किया है, और तदोपरांत रोहित विज, उनकी व्यापारिक संस्थाओं और सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत से संबंधित दिल्ली के 5 परिसरों पर तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय (पीओसी) की पहचान की गई, अपराध संकेती दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई है।

ईडी ने वर्ष 2022 में पीएस साइबर क्राइम, हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कुछ चीनी व्यक्तियों ने कुछ भारतीय व्यक्तियों के साथ मिलकर 'LOXAM' नामक अपने फर्जी निवेश ऐप के माध्यम से निवेश पर अवास्तविक रूप से उच्च रिटर्न का लालच देकर और पेशकश करके विभिन्न निवेशकों को धोखा दिया है, जो इसी नाम के एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी एमएनसी समूह से संबंधित होने का दावा करते हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि दागी धन एक फर्जी इकाई मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में एकत्र किया गया था, जो एक भारतीय व्यक्ति के नाम पर एक चीनी नागरिक श्री जैक के निर्देश पर बनाई गई थी, जिसने ये इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स लिए और एकत्र किए गए धन की 38 म्यूल अकाउंट के माध्यम से हेराफेरी की, जिसे बाद में रोहित विज और उनके सहयोगियों की मदद से दिल्ली में उनके द्वारा नियंत्रित फर्जी मुद्रा परिवर्तक संस्थाओं अर्थात मेसर्स रंजन मनी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया गया।

रोहित विज और उनके सहयोगियों ने कई अधिकृत मुद्रा परिवर्तकों (एएमसी)/पूर्णकालिक मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) के माध्यम से दागी राशि को विदेशी मुद्राओं, ज्यादातर अमेरिकी डॉलर और यूएई दिरहम में, परिवर्तित किया, और हवाला चैनलों के माध्यम से विभिन्न बिचौलियों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले चीनी अपराधियों को प्रदान किया।

मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कुल 171.47 करोड़ रुपये की धनराशि का शोधन किया गया और बाद में मेसर्स रंजन मनीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया। । हालांकि, मेसर्स रंजन मनी कॉर्प और मेसर्स केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि 7 महीने की अवधि के भीतर, रोहित विज के नियंत्रण और संचालन में इन संस्थाओं ने धोखाधड़ी करने वाले चीनी अपराधियों और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा अर्जित 903 करोड़ रुपये की इसी प्रकार की दागी धनराशि को परिवर्तित किया है ।

इसलिए, अपराध की आय को विदेशी मुद्रा में बदलने के प्रमुख षड्यंत्रकर्ता रोहित विज को 30.06.2025 को गिरफ्तार किया गया, जिसे विद्वान पीएमएलए कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है।